।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372–212275

पत्रांक 3967/12–1 , गोपेश्वर, दिनांक 13/04/ 2018।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली–पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध मे।

संदर्भः– आपका पत्रांक 232/ 23 एल0ए0 दिनांक 6.02.2018

महोदय,

चमोली पलेठी सरतोली मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 4.088 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में उच्च स्तर से 8 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी, के क्रम में आपके द्वारा संदर्भित पत्र से निराकरण कर पत्र संलग्नको सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, उक्त पत्र संलग्नकों सहित अवलोकन करने पर कतिपय कमियां पायी गयी, बिन्दुवार कमियां का निराकरण करने के उपरान्त ही इस कार्यालय को प्रेषित करें।

1– बिन्दु सं0–01 प्रस्ताव में सात गांव का उल्लेख किया गया है परन्तु आपके द्वारा चार गांव की गांव समिति की बैठक की रिपोर्ट लगायी गयी है। FRA (वन अधिकार अधिनियम 2006) हेतु जो प्रपत्र दिये गये है, उन्ही प्रपत्रों में बनाया जाना है। राजस्व गांव के अतिरिक्त तोक गांव के निवासियो के नाम, हस्ताक्षर व उनके गांव का नाम भी उल्लेख किया जाय।

2– बिन्दु सं0 02– प्रस्ताव में सलंग्न FRA में 4.235 है0 वन भूमि प्रस्तावित किया गया है। जबकि प्रस्ताव 4.088 है0 का बनाया गया है। दोनो में विरोधाभाष हो रहा है, आपके द्वारा संलग्न FRA अधूरा है। कृपया दिये गये प्रपत्र में बनाये।

3. बिन्दु सं0 4– प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल में 4.00 है0 Dense Forest दर्शा रहा है। वन क्षेत्राधिकारी के साथ स्थल निरीक्षण करते हुए क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता का प्रमाण संलग्न करें।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।